न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.-2022 / 123
मिसल नम्बर– 26 / 2022

1. छीतर आत्मज औंकार जाति चमार
2. भूली बाई पुत्री औंकार पत्नी रमणी शंकर जाति चमार
   निवासीगण फिजा होटल के पास, कुन्हाड़ी, कोटा
3. सूरजमल आत्मज मोडूलाल जाति चमार
4. पप्पु आत्मज मोडूलाल जाति चमार
5. राकेश आत्मज मोडूलाल जाति चमार
6. मनीषा बाई पुत्री मोडूलाल जाति चमार
   निवासीगण ग्राम नया नोहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.....वादीगण

बनाम

1. अशोक आहूजा आत्मज टेहलाराम जाति आहूजा पंजाबी
2. पी. के. आहूजा आत्मज टेहलाराम जाति आहूजा पंजाबी
   निवासीगण हरिओम कॉलोनी, बृज टॉकिज के सामने, नयापुरा, कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

..... प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक - 17/9/25

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188, 92A राजस्थान टेनन्सी एक्ट प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188, 92A राजस्थान टेनन्सी एक्ट प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञाप्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि–

वादीगण के दादा मांग्या आत्मज देवीलाल के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 34 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा आराजी जमाबंदी सम्वत 2011 से 2014 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

मांग्या जी के वादी क्रम 1 व 2 के पिता औंकार व वादीगण क्रम 3 से 6 के पिता मोडूलाल पुत्र है जिनका स्वर्गवास हो गया है। मांग्या जी के स्वर्गवास बाद ग्राम नया नोहरा व अन्य स्थित आराजी के मांग्या जी के दोनों पुत्र एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से उनकी सम्पत्ति के मालिक हुए।

औंकार की पत्नी कजोड़ी बाई व मोडूलाल की पत्नी मथरी बाई का स्वर्गवास हो गया है। औंकार की जी के एकमात्र पुत्र छीतर व भूरी पुत्री है तथा मोडूलाल जी के सूरजमल, पप्पु, गुडडू पुत्र व घरमा पुत्री है। इस प्रकार वादीगण मृतक मांग्या जी के वारिस एवं उत्तराधिकारी है जो उनकी सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं।

वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा प्रतिवादी 1 व 2 व उनके पिता टेहलराम आत्मज कन्हैयालाल अनूसूचित जाति के सदस्य नहीं है।

वादीगण के दादा मांग्या आत्मज देवीराम अशिक्षित व्यक्ति थे जिनकी अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर बृजभूषण आत्मज नारायण जाति कायस्थ निवासी बृजराजपुरा द्वारा खसरा नम्बर 34 के बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 25 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा को अपने नाम दर्ज करवा लिया और सेटलमेंट बाद नवीन खसरा नम्बर 26 रकबा 4.69 हेक्टर को बाद में बृजभूषण के स्थान पर प्रतिवादीगण के पिता टेहलाराम आत्मज कन्हैयालाल ने मिलीभगत कर स्वंय का नाम दर्ज करवा लिया।

टेहलराम आत्मज कन्हैयालाल का स्वर्गवास हो गया है। जिसके प्रतिवादी क्रम 1 व 2 एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है।

वादीगण के दादा मांग्या आत्मज देवीलाल द्वारा बृजभूषण अथवा टेहलाराम के पक्ष में किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करवाया है अगर कोई दस्तावेज षडयंत्र रचकर करवाया गया है तो वह धारा 42 राजस्थान काश्तकारी प्रावधानों के विपरित होने से प्रारंभ से ही शून्य है। जिससे प्रतिवादीगण को हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

वादीगण ग्राम नया नोहरा स्थित वर्णित आराजी पर हाल ही में हंकाई कर रहे थे कि प्रतिवादीगण अपने चार पांच साथियों को साथ लेकर 20 दिसम्बर 2021 को शाम के समय आये और उन्होंने बताया कि उक्त आराजी उनके पिता के नाम दर्ज चली आ रही है और कहा कि तुमने बहुत काश्त कर ली अब हम काश्त करेंगे। राजी से कब्जा छोड़ दोगे तो हम तुम्हें पैसा भी देंगे जिस पर वादीगण ने कहा कि हम तो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पूर्वजों के समय से काश्त कर रहे हैं तथा उक्त आराजी हमारी परिवार की आराजी है तब प्रतिवादीगण नाम पता पूछ कर वापस आ गये किन्तु उसके बाद से निरंतर आये दिन दलाल आकर जमीन देखकर खरीदने की धमकी देते हैं और पूछने पर बताते हैं कि प्रतिवादी क्रम 1 ने जमीन बेचने के लिये बाजार में घोषणा कर रखी है।

प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की कहने पर वादीगण द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जिस पर वकील साहब द्वारा नकल निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण की आराजी को प्रतिवादीगण के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है जो प्रारंभ से ही शून्य है।

प्रतिवादीगण के षडयंत्र की जानकारी वादीगण को होने व वादीगण द्वारा आराजी पर से कब्जा नहीं छोड़ने की कहने पर प्रतिवादीगण आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण द्वारा षडयंत्र रचकर वादीगण की आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाई है जिसे वादीगण वापिस नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से घोषणा का वाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा स्थित खसरा नम्बर 25 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 26 रकबा 4.69 हेक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के पिता टेहलाराम के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी पैदा नहीं करें, ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे वादीगण ने यह तथ्य वर्णित किये है कि वादीगण के दादा मांग्या जी आत्मज देवीलाल के खाते की ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 34 की 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि है, जिसका खसरा नम्बर बदलकर खसरा नम्बर 25 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा तथा वर्तमान सेटलमेन्ट ने खसरा नम्बर बदलकर नवीन खसरा नम्बर 26 रकबा 4. 69 हैक्टयर कर दिया है, उक्त पहले बृजभूषण ने सेटलमेन्ट के कर्मचारियों के साथ मिल कर स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया तथा बाद मे टहलाराम आत्मज कन्हैयालाल ने दर्ज करवा ली तथा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादीगण टहलाराम के उत्तराधिकारी है, और इस प्रकार उक्त भूमि से टहलाराम का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे ।

वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल जी ने वादग्रस्त भूमि दिनांक 30.05.1957 को जर्ये विक्रय–पत्र बृजभूषण को विक्रय कर कब्जा प्रदान किया, तथा उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 31.05.1957 को पंजिकृत किया गया। उक्त भूमि मांग्या जी द्वारा वास्तविक दिनांक 10.09.1956 को ही बृजभूषण को विक्रय कर कब्जा प्रदान कर दिया था. बाद मे दिनांक 30.05.1957 को विक्रय–पत्र आलेखित कर दिनांक 31.05.1957 को उसका पंजियन करवा दिया तथा उक्त भूमि बृजभूषण के खाते में नियमानुसार दिनांक 15.10.1957 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दर्ज की गई ।

बृजभूषण ने उक्त भूमि दिनांक 26.04.1965 को प्रतिवादी के पिता टहलाराम को विक्रय कर विक्रय–पत्र आलेखित कर दिया, जिसका पंजियन बुक नम्बर–1 में दिनांक 17.05.1965 को महेन्द्रा तथा उक्त भूमि जयें नामान्तरकरण नम्बर 53 दिनांक 08.09. 1974 को टहलाराम के खाते में दर्ज की गई। इस प्रकार टहलाराम दिनांक 26.04.1965 से मृत्यु पर्यन्त उक्त भूमि पर काबिज रहे, तथा टहलाराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण का उक्त भूमि पर दिनांक 10.09.1956 के बाद से कभी भी कब्जा नही रहा है। तथा प्रतिवादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है।

वादीगण द्वारा वाद मे वास्तविक सहायता नही चाही गई है। ऐसी अवस्था मे वाद धारा 34 एस. आर. एक्ट से बाधित है।

वाद पूर्ण रूप से अवधि बाधित है। ऐसी अवस्था में अवधि अधिनियम से वाद बाधित होने के कारण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 से भी बाधित होने के कारण वाद चलने योग्य नही है।

विक्रय–पत्र को निरस्त कराये बिना वाद चलने योग्य नही है, तथा विक्रय–पत्र को निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही है। ऐसी अवस्था में माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है।

वाद आर्डर 7 रूल 11 सी पी सी मे वर्णित प्रावधानों से बाधित होने के कारण निरस्तनीय है ।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त फरमाया जावे ।

न्यायालय उपखण्ड * कोटा *

उपखण्ड अधिकारी
को

वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 रूल 11 सी. पी. सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि–

प्रतिवादी क्रम 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।।

प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु तथ्य एवं विधि का प्रश्न है। जो बाद साक्ष्य ही निस्तारित हो सकेंगे।

प्रतिवादी क्रम 1 जाति से स्वर्ण व्यक्ति है, जबकि वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 के नाम आराजी गलत दर्ज की है। प्रस्तुत वाद घोषणा खातेदारी का है जिसके संबंध में राजकीय प्रावधान लागू नही होते है वादीगण गरीब, कमजोर व्यक्ति है जिनको राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होते ही वाद प्रस्तुत किया है।

वादीगण का वाद घोषणा खातेदारी का है तथा कृषि आराजी के संबंध में होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण क्रम 1 की ओर से कुछ न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये जो निम्न है:–

1- **RBJ(6) 1999 -Man Singh u/s Hir Singh**

RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955-SECTION - 88 Decree of declaration cannot be passed without decree of possession. The defendent purchased the disputed land for Rs. 99/- which does not require registration. The defendant proved the sale deed. On the basis of this sale deed mutation was also attested which has not been challenged in any court by the plaintiff. The plaintiff failed prove the date of dispossession. The decree of declaration cannot be passed without decree of possession. Therefore, Board of Revenue dismissed the appeal.

2- **RRD 1984- Smt. Kesar Bai V/s Ram Gopal-(282)**

Appeal No. 105/Kota of 82, decided on 4th Sept., 1984.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

Raj. Tenancy Act, Secs. 183, 183B, 42(b) & 63(1)(iv) and Sl. Nos. 23 & 68C of III Sch.-Limitation Act, Sec. 9-Cause of action-Suit land, sold by 'R' member of S.C. on 24.5.66 to deft. (non-member of S.C.), put into possession same day-Suit, filed on 6.10.80 by heirs of 'R' when they demanded possession in May, 80 from deft. who refused which gave cause of action-Held, possession of transferee, not permi-ssive but that of a trespasser from date of sale in contravention of Sec. 42(b)-Cause of action for suit u/s 183 would arise from date of transfer itself if possession, delivered and not from date when possession, demanded and refused.

Under Sec. 63(1) (iv) the interest of a tenant in his holding shall be extinguished when he is deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation, (Paras 19&20)

3- **In Chhagna vs Ratna (1977 RRD 479)** one 'A' a Gujar by caste had purchased agricultural land under a registered sale deed dated 5-8-57 from 'B', a Rebari by caste who had earlier purchased it through a registered sale deed dated 17-7-57 from 'C' a Bhil. 'A' claimed possession on the field since the date of the sale and filed a suit for declaration of his khatedari rights. The suit was dismissed on the ground that the suit land still continues to stand in name of 'C' in the revenue records. In appeal the learned Revenue Appellate Authority remanded the case for further evidence and fresh decision. Allowing the second appeal of 'A' it was held by the Board of Revenue that under section 63(1)(iv) of the Act the interest of 'C' the original khatedar tenant and subsequently that of 'B' had been extinguished because the rights of both of them to recover possession had been barred by limitation i.e. 12 years have already expired.

4- **Nathu vs State of Rajasthan (1980 RRD 238)** a member of a Scheduled Tribe was recorded khatedar of agricultural land. He sold the land to a person who was not a member of Scheduled Tribe and also got his name mutated. In reply to the notice given under section 175 of the Act the purchaser stated that he had purchased the land on 27-8-52, much before the Act came into force. It was held that limitation will have to run from the date of knowledge claimed by the Tehsil authorities i.e. from the date of mutation. It was a case under section 175 of the Act and not a suit or application by a member of a

न्यायालय उपखण्ड कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

Scheduled Caste or Scheduled Tribe and as such in our opinion this ruling has no application.

5- **2023(2) RRT 907 Vimla Devi vs. Pohap Singh - BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER-** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88 एवं 188–खातेदारी की घोषणा हेतु वाद खारिज किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और वाद डिक्री किया–"एस तथा जी" खातेदार दर्ज थे–वादी सम्वत् 2017 में शिकमी दर्ज था लेकिन सम्वत् 2026 का रेकॉर्ड पेश नहीं किया–पी.ड. 1 व पी.ड. 2 की विरोधाभासी साक्ष्य–तनकी सं. 1 पर निष्कर्ष अभिलिखित करने में राजस्व अपील प्राधिकारी ने त्रुटि की है–वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं है–वादी को घोषणा हेतु वाद दायर करने के दिन भूमि के कब्जे में होना चाहिये–निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया। (पैरा 8,9,10,11,12,13,14,15,16)

6- **2016 (3) CDR 750 (SC) Ajay Gupta vs. Raju@Rajendra singh Yadav- SUPREME COURT OF INDIA –**

Limitation Act, 1963 Secs. 4 & 5 Civil Procedure Code, 1908 Order 7 Rule 11 - Limitation to file suit Application by defendant for rejection of suit - Trial Court and High Court deemed suit within limitation as 1.1.2011 was a non-working Saturday- Application u/O. 7 Rule 11 disposed of on said ground of limitation - Appeal there against - Held, extension of prescribed period in certain cases applies only to appeals or applications and not to suits - Therefore, Court or Tribunal cannot extend the period of limitation for filing a suit - Even if any cause is shown also beyond the control of the plaintiff, the only extension is permitted to be the period coming under Court holiday - Thus, both the trial Court and High Court have gravely gone wrong on the first principle on law of limitation- Impugned order is set-aside - Application u/O. 7 Rule 11 is allowed Recovery suit is dismissed.

7- **2016(1) RRT 235 RAJASTHAN HIGH COURT Sherulal & Ors.VS Shriram & Ors.-** Code of Civil Procedure, 1908-Sec. 96-First Appeal-Suit for specific performance-Agreement to sell was executed on 27.3.1978 by respondent 'S'-Suit filed after 20 years on 27.3.1978-Agreement was executed in favour of 'B' & he died 15 years ago perior to institution of suit-Appellants are L.Rs' of deceased 'B'-No explanation for not filing suit by 'B' in his life time-Suit filed beyond a period of limitation of three years-Held, Suit rightly dismissed being barred by limitation. (Paras 11,12,15,18,19,20,21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

8- **Imp. Point** :- Bar of limitation is required to be examined by Court in relation of every suit-Appeal or application even if limitation as sucli has not been set up as a defence.

9- **RRT 2016(1) Bherulal vs. Shriram** Now, I propose to deal with the relevant law governing the province of limitation, insofar as suit for specific performance of contract is conerned Article 54 of the Act deals with the period of limitation, which reads as under:

Description of suit	Periof of Limitation	Times from which period begins to run
For Specific performance of a contract	Three years	The date fixed for the performance, or, if no such date is fixed, when the plaintiff has notice that performance Is refused

11. Well it is true that in the agreement to sale (Ex-19) no date is fixed for performance but then in such an eventually, period of three years is to reckon from the date, the plaintiff noticed that perofnace is refused. If this provision is construed in light of the averments contained in Paras 3 and 4 of the plaint, then it can very well be inferred that performance was refused by Shriram during the lifetime of Bhaguli.

12. True it is that no date is mentioned but even if this date is to be construed as any day anterior to the death of Bhaguji, the limitation has reckoned from that date and it came to an end within three years from that date. In that event, according to appellant-plaintiffs also the limitation had come to an end in the year 1996 and as such the suit, which was instituted in the year 2008, is hopelessly barred by limitation. Therefore, the learned Court below although decided all the issues in favour of appellant-plaintiffs has rightly decided the crucial issue of limitation against them.

13. The statute of limitation is founded on public policy. It seeks to bury all acts of the past, which have not been agitated unexplainably and by lapse of time have become stale. According to Halsbury's Laws of England, Vol. 28 P. 266:

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

"605. Policy of the Limitation Acts. The Courts have expressed at least three differing reasons supporting the existence of statutes of limitations namely,-(1) that long dormant claims have more of curelty than justice in them, (2) that a defendant might have lost of evidence to disprove a stale claim, and (3) that persons with good causes of actions should pursue them with reasonable diligence."

16. The right to sue which was available to Bhaguji, could have been availed by his legal Representatives within three years from the date of his death in terms of sub-section (1) of Section 16 of the Act. Complete text of Section 16 of the Act reads as under:

16. Effect of death on or before the accrual of the right to sue.-(1) Where a person who would, if he were living, have a right to institute a suit or make an application dies before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application accrues only on the death of a person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a Legal Representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application.

(2) Where a person against whom, if he were living, a right to institute a suit or make an application would have accrued dies before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is Legal Representative of the deceased against whom the plaintiff may institute such suit or make such application.

10- **2019(2) RRT 780 SUPREME COURT Raghwendra Sharan Singh VS. Ram Prasanna Singh (Dead) by L.Rs.** Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Application dismissed to reject the plaint-Registered gift deed executed by the plaintiff and his brother on 6.3.1981 not challenged-Suit for declaration-In partition suit filed by the appellant in the year 2001, plaintiff was the party-Plaintiff made averment that fact of execution of gift deed carne into knowledge on 10.4.2003-Suit was clearly time barred-Plaintiff tried cleverly to bring within the limitation-Held, Plaint is rejected. (Paras 7,8,9)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बहस उभय पक्ष बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा जानबुझकर तथ्यों को छुपाया गया है। वादीगण का कथन है किप्रार्थीगण ने सेटलमेंट से मिलकर वादग्रस्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवा लिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 31.05.1957 को मांग्या द्वारा ब्रजभुषण को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की गई। जिसका इंतकाल दिनांक 15.10.1957 को ब्रजभूषण के पक्ष मे दर्ज हुआ। ब्रजभूषण द्वारा दिनांक 26.04.1965 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का बेचान टहलाराम को किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विक्रय पत्र मे जाति लश्करी अंकित है जो सामान्य वर्ग मे आती है। वादीगण द्वारा कही भी यह प्रमाणित नही किया गया है कि मांग्या अनुसुचित जाति का व्यक्ति था।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि सन् 1957 से आजतक प्रश्नगत आराजी पर वादीगण का कब्जा नही है। सन् 1957 के पश्चात दावा पेश किया गया है जो धारा 88 , 89 के तहत प्रस्तुत किया गया है तथा दावे मे पजेशन नही मांगा गया है। बिना पजेशन के धारा 88, 89 के तहत वाद मेन्टेनेबल ही नही है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि वाद प्रस्तुत करने के सारी मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। अतः वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण ही उत्पन्न नही होता है। अतः विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य मे वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी प्रार्थना पत्र का कथन है कि वादीगण अनुसुचित जाति के सदस्य है तथा क्रेता स्वर्ण जाति का सदस्य है अतः यह विक्रय राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 42 से प्रभावित होने के कारण क्रेता गण को हस्तगत आराजी मे कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादीगण गरीब व कमजोर तबके के व्यक्ति है। जिन्हे राजस्व रिकोर्ड की जानकारी ही नही थी। अतः जानकारी प्राप्त होते ही वाद प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि धारा 42 से प्रभावित होने के कारण उक्त विक्रय प्रारम्भ से ही शुन्य है तथा उन्हे विक्रय पत्र को निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नही है क्योकि हस्तगत विक्रय धारा 42 से प्रभावित है। अतः प्रश्नगत आराजी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। तथा बहस उभय पक्ष पर गम्भीरतपूर्वक मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि हस्तगत आराजी भू प्रबंध से पूर्व मांग्या आत्मज देवीलाल की खातेदारी मे दर्ज थी। मांग्या द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त भूमि का बेचान ब्रजभूषण पुत्र टिकेटनारायण को दिनांक 31.05.1957 को किया गया। तत्पश्चात ब्रजभूषण द्वारा हस्तगत आराजी का बेचान दिनांक 26.04.1965 को टहलाराम आत्मज श्री कन्हैयालाल आहुजा को किया गया। तब से ही यह आराजी टहलराम के नाम दर्ज रिकोर्ड है।

संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1957 के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि विक्रेता की जाति विक्रय पत्र मे लश्करी अंकित है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जो यह प्रमाणित करता हो कि विक्रेता मांग्या की जाति लश्करी नही थी। राज्य सरकार द्वारा अधिसुचित अनुसूचित जाति की सुची मे लश्करी जाति अनुसूचित जाति मे नही है। अतः हमारे विनम्र मत मे वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि उक्त विक्रय धारा 42 से प्रभावित हो।

साथ ही वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे यह कथन किया गया है कि मांग्या आत्मज देवीराम अशिक्षित व्यक्ति था जिसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियो के साथ मिलिभगत करते हुये ब्रजभूषण द्वारा दौराने सेटलमेंट हस्तगत आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि हस्तगत आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ब्रजभूषण सक्सेना के नाम दर्ज हुई थी। उक्त स्थिति मे विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन प्रमाणित होता है कि वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये है। तथा उनके द्वारा तथ्यों को जानबुझकर छिपाया गया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि सन् 1957 से आज तक क्रेतागण ही हस्तगत आराजी पर काबिज काश्त है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया गया है जो खातेदार के उक्त दावे का खंडन कर सके। साथ ही वादीगण द्वारा इस तथ्य का भी कोई युक्ति पूर्ण उत्तर नही दिया गया है कि सन् 1957 के पश्चात वर्तमान मे दावा क्यो प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परिस्थितियों मे जबकि पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये वादप्रस्तुत किया गया है, वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल है कि हस्तगत बेचान धारा 42 से प्रभावित है, वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि सन् 1957 के पश्चात आज वाद प्रस्तुत करने का कोई वाजिब कारण उत्पन्न हुआ हो, लिमिटेशन एक्ट तथा धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे वर्णित मियाद समाप्त होने के परिणामस्वरूप

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

वादीगण का कोई खातेदारी अधिकार बनता हो तथा वादीगण हस्तगत आराजी पर किसी भी प्रकार काबिज काश्त हो, हमारे विनम्र मत मे वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है।

उक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा